

2018/00113
PCMS
A

04/18
2.5.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"

(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

सिडवा

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम शेहिला की जमाबन्दी

संवत् 2070-73 खाता संख्या 78 में -

मोहन नरसी बाबूलाल पिथाराम गणपत पिठ आदराम सुगाणीबेक आदराम
लूणा कोसला सुरा पि. गोरधन केके बेवा गोरधन कासू लाखा साकूफि मन्त्री
श्रीकृष्णलाल चुंगाराम पि. सुजाराम वारीदेवी पतिन सुजाराम कोर भोगवशी
सी. दाणालर कुला खोरेदार ना. क. स. 655

ख. न		
158	23.16	बा. दे।
359/155	8.10	बा. दे।
370/182	4.10	बा. दे।
409/219	31.09	बा. दे।
<u>4</u>	<u>68.13</u>	

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
चुवाराम

दिनांक

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

518 गोरखी के अ. नं. 150, 310/155, 320/182, 409/2192 कक
 कक 23.16, 3.18, 4.10, 31.09 कुल 68.13 क सोड पर लागता, 225 "510
 गोरखी कोन गोरखी ने इनके साधारण, 60 एक कडि मामला कक को
 धारा 107 की के नाम 225 51 गोरखी के नाम पर "गुराराम"
 क नाम कक किने जाने का प्रतिके कि 10/ उपलब्ध लागते के उल्लेख पर "गुरा"
 1 गोरखी के नाम पर गुराराम नाम पर 225 51 के नाम कक किने जाने का प्रतिके
 है।

गुराराम
 पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

पटवारी। भू.अ. निरीक्षण की जांच रिपोर्ट पर लगन
 साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर शर्तों का नाम रजिस्टर
 अभिलेख में "गुराराम गोरखी" के स्थान पर "गुराराम
 51 गोरखी राम" का नाम दर्ज की सुझाव
 की जाती है।

आदेश

शर्तों द्वारा पेश अर्चना पर 51 साक्ष्य जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेज
 नहीं होने के कारण शर्तों का अर्चना पर स्वारिज किया
 जाता है। चर्चा वली कि लख शुभार होकर दारिजत दफतर हो।



अपखण्ड अधिकारी
 चौहान

उप खण्ड अधिकारी